न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2023 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 06.01.2023
G.C.M.S. NO. :- 2023/2

रमेशचन्द्र पिता लख्मीचंद गुर्जर निवासी आंतरी, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट

बनाम

1–समस्त ग्रामवासी आंतरी, पटवार हल्का नाहरगढ़, तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़
2–सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार भदेसर प्रकरण संख्या 521/2022 निर्णय दिनांक 12.12.2022

उपस्थितिः–1– श्री हीरालाल सुखवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 07.06.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से आवेदन बाबत अतिक्रमण का अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत करने पर पटवार हल्का नाहरगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम आंतरी की आराजी नम्बर 278 रकबा 0.06 है. में से 0.01 है. पर अवैध निर्माण कर आम

रास्ता अवरूद्ध करना मानते हुए दिनांक 12.12.2022 को अपीलांट के विरूद्ध निर्माण को ध्वस्त करने तथा एक माह के साधारण कारावास की सजा के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भदेसर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से आवेदन बाबत अतिक्रमण का अपीलांट के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि उसके द्वारा राजस्व ग्राम आंतरी की सरकारी आराजी नम्बर 278 रकबा 0.06 है. में से 0.01 है. पर अवैध निर्माण कर आम रास्ता अवरूद्ध किया जाने का कार्य किया जा रहा है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का नाहरगढ़ से रिपोर्ट लेकर अपीलांट के विरूद्ध निर्माण को ध्वस्त करने तथा एक माह के साधारण कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया जो नियमों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर कथन किया कि विवादित स्थल का ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा आवासीय पट्टा संख्या 31 दिनांक 14.01.2013 जारी किया गया है उसी पर अपीलांट द्वारा निर्माण किया जाकर मकान बना रखा है इसके अतिरिक्त कोई अतिक्रमण नहीं है उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना एक पक्षीय साक्ष्य को रेकार्ड पर लेकर यह विवादित आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पटवारी से जिरह का कोई अवसर प्रदान नहीं किया किसी प्रकार से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को प्रमाणित नहीं कराया फिर भी सिविल कारावास का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.12.2022 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम रास्ते की भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से पुरानी दीवार तोड़कर 3-4 फीट आगे नई दीवार रास्ते की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया है अपीलांट को उक्त अवैध अतिक्रमण कई बार हटाने हेतु निर्देशित करने के बावजूद भी अवैध अतिक्रमण नहीं हटाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से निर्माण ध्वस्त करने एवं एक माह के साधारण कारावास का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

रिबटल में अपीलांट के अधिवक्ता ने कथन किया कि विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 278 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर भूमि पर से अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा/दीवार के निर्माण को ध्वस्त कर दिया है पुष्टि में फोटोग्राफ्स् एवं शपथ-पत्र पेश है अतः सहानुभूतिपूर्वक एक माह के साधारण कारावास की सजा को निरस्त करने का आदेश फरमावें।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में ग्राम आंतरी की प्रश्नगत आराजी नम्बर 278 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर भूमि पर ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा पट्टा जारी होने एवं उसी अनुसार काबिज होने का कथन किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलांट के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राम आंतरी की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 278 रकबा 0.06 हैक्टेयर बिलानाम रास्ता भूमि है जिस में से 0.01 हैक्टेयर पर अपीलांट ने नई दीवार का निर्माण करके अवैध अतिक्रमण कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, भदेसर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत् होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।

जहां तक अपीलांट का कथन है कि ग्राम पंचायत नाहरगढ़ द्वारा विवादित आराजीयात के संबंध में उसे पट्टा जारी कर रखा है अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा पट्टे की प्रति पेश नहीं की है जिससे उसके उक्त कथन की पुष्टि होती हो।

साथ ही पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की पुष्टि नहीं होने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन अनुसार अपीलांट को अवैध दीवार निर्माण को हटाने हेतु समझाईश करने पर अपीलांट के परिजनों द्वारा अभद्र व्यवहार करने, कई अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपना अवैध निर्माण नहीं हटाकर टालम-टोल करने तथा राजकीय आदेशों की अवहेलना एवं अवैध अतिक्रमण करने की परिपाठी को बढ़ावा मिलने संबंधी तथ्यों के आधार पर अतिक्रमी/अपीलांट के विरूद्ध एक माह के साधारण कारावास के आदेश दिए गए जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 की उपधारा 6 (क) के तहत अधीनस्थ न्यायालय को प्रदत्त है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पटवारी हल्का नाहरगढ़ की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम आंतरी की आराजी नम्बर 278 रकबा 0.06 में से 0.01 हैक्टेयर किस्म रास्ता भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है। चूंकि अपीलांट ने प्रश्नगत आराजीयात पर से उसका कब्जा तथा अवैध निर्माण हटा देने तथा भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृति नहीं करने संबंधी शपथ-पत्र एवं फोटोग्राफ्स् प्रस्तुत किया है। निष्कर्षतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2022 में आशिंक संशोधन करते हुए साधारण कारावास की सजा को उन्मोचित (Quashed) करते हुए शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(राकेश कुमार)